



परियोजना प्रबन्धन इकाई

स्वजल परियोजना

उत्तराखण्ड ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना
(पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड)

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स, बिल्डिंग, प्रथम तल
दिल्ली (सहारनपुर) रोड, अपोजिट आई0एस0बी0टी0 देहरादून-248171

फोन : 0135-2643455, 2643380

फैक्स : 0135-2643381

Web Site: www.swajal.gov.uk.nic.in

E-mail : pmu_uttaranchal@rediffmail.com

विज्ञप्ति संख्या 06/2015-16

प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति

“उत्तराखण्ड ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना” (स्वजल परियोजना) उत्तराखण्ड राज्य के पेयजल विभाग के अधीन एक पंजीकृत संस्था है, जो ग्रामीण समुदायों की नियोजन, क्रियान्वयन एवं रख-रखाव में सहभागिता के माध्यम से जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यों के स्थायित्व विकास का कार्य कर रही है। जनपदीय परियोजना प्रबन्धन इकाईयों (डी0पी0एम0यू0) के लिये वर्तमान में रिक्त तथा भविष्य में रिक्त होने वाले प्रबन्धक (लेखा) के पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने हेतु एक सूची (Empanelment) तैयार करने एवं तदनुसार योजित किये जाने हेतु परियोजना में कार्य करने के इच्छुक राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/विभिन्न विभागों के उपक्रम/संस्थानों में कार्यरत सहायक लेखाकारों/लेखाकारों के आवेदन पत्र उनके विभागाध्यक्ष द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित एवं प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित दिनांक 25 जुलाई, 2015 तक स्वयं अथवा डाक द्वारा उपरोक्त पते पर आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम सं०	पदनाम	वेतनमान (रूपये)	पात्रता
1.	प्रबन्धक (लेखा)	7450-11500 (अपुनरीक्षित) 9300-34800 ग्रेड वेतन-4600 (पुनरीक्षित)	1. स्वीकृत वेतनमान से एक स्तर नीचे वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन-4200 (पुनरीक्षित) के उपयुक्त वाणिज्य स्नातक अनुभवी लेखाकार। 2. इससे उच्च वेतनमान पा रहें वाणिज्य स्नातक अनुभवी लेखाकारों को उनके मूल विभाग में देय वेतन को संरक्षित किया जायेगा एवं परियोजना में देय भत्ते (यथा-प्रतिनियुक्ति भत्ता, परियोजना भत्ता, दोगुना मकान किराया भत्ता) अन्य जो भी सुविधायें परियोजना में देय होगी, अनुमन्य होंगे।

यदि किसी अभ्यर्थी को इस कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने सम्बन्धी पत्र निर्गत करने के उपरान्त एक माह की अवधि तक उनके विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के उपरान्त अनुमन्य सुविधायें जैसे वेतन, पेंशन अंशदान, ग्रेच्युटी, एल0टी0सी0, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, परियोजना भत्ता, मकान किराया भत्ता, मोबाईल फोन बिल हेतु निर्धारित सीमा तक व्यय की प्रतिपूर्ति परियोजना द्वारा की जायेगी। सभी पदों हेतु स्वीकृत वेतनमान की सीमा तक पैतृक विभाग में प्राप्त वेतनमान से एक उच्च वेतनमान ही देय होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा अग्रिम प्रति के रूप में प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र निम्न प्रारूप में टंकित कर प्रेषित किया जायेगा :-

(1) आवेदित पद का नाम (2) अभ्यर्थी का नाम (3) जन्म तिथि (4) शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव (5) पैतृक विभाग का नाम एवं पत्राचार हेतु पता (6) कार्यालय का नाम एवं पत्राचार हेतु पता जहां वर्तमान में कार्यरत है (7) वर्तमान में धारित पद का नाम (8) वर्तमान वेतनमान एवं उसमें नियुक्ति की तिथि (9) फोन एवं फैक्स नम्बर।

उपरोक्त आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी की पांच वर्षों की चरित्र पंजिका की प्रमाणित प्रतियां भी भेजी जानी अनिवार्य है। साथ ही यह भी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा कि **“आवेदक अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक अथवा विभागीय जाँच लम्बित नहीं है और न ही पूर्व में उन्हें कभी दण्डित किया गया है।”** ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनकी पात्रता उनके सम्मुख पद नाम के अनुसार संतोषजनक पायी जायेगी, उन्हीं अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा।

निदेशक, स्वजल

आवेदन पत्र का प्रारूप

(1) आवेदित पद का नाम

(2) अभ्यर्थी का नाम

(3) जन्म तिथि

(4) शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव

(5) पैतृक विभाग का नाम एवं पत्राचार हेतु पता

(6) कार्यालय का नाम एवं पत्राचार हेतु पता जहां वर्तमान में कार्यरत है

(7) वर्तमान में धारित पद का नाम

(8) वर्तमान वेतनमान एवं उसमें नियुक्ति की तिथि

(9) फोन एवं फ़ैक्स नम्बर।

Latest Photo Graph

हस्ताक्षर

नाम.....

पद नाम.....